

118

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल बोलियर केन्द्र भोपाल

निगरानी 493-PBR/15

राजस्व याचिका क्र. :-

प्रस्तुति दिनांक :-

याचिकाकर्तागण

- :- 1. मनमोहन आ. श्री चम्पालाल जी सोनकर
- 2. बृजमोहन आ. श्री चम्पालाल जी सोनकर
दोनों नि. डबल फाटक के पास हरदा, तह. एवं जिला-हरदा
बनाम

- :- 1. मदनमोहन आ. चम्पालाल जी सोनकर
नि. डबल फाटक के पास हरदा, तह. एवं जिला-हरदा
- 2. श्रीमति स्नेहलता पत्नी चंद्रकिष्णोर मेव,
पुत्री श्री चम्पालाल जी सोनकर,
निवासी 148/1 मुसाखेड़ी हंडौर, जिला-हंडौर मध्यप्रदेश
- 3. श्रीमति रुखमणी पत्नी राधेश्याम जी सोनकर,
पुत्री श्री चम्पालाल जी सोनकर
निवासी घमापुर, जबलपुर (म.प्र.)

संक्षेप दुर्भाग्यात्मक उत्तरादीगण
तिथि 03/03/15
प.स.

संक्षेप 4698
स्टर्ट पोर्ट द्वारा आज
कांक की प्राप्ति

लाइन ऑफ कोर्ट
राय अफिल अ.प्र. बोलियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

याचिकाकर्तागण यह निगरानी, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा राजस्व अपील क्र. 46/अपील/09-10 में पारित आलोच्य आदेश दि. 08/01/2015 से व्यथित होकर निम्न तथ्यों व विधि के सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं :-

R 493-PB-2/15 २२५

मनसोदग आर्य/मनसोदग आर्य

27.6.2015

आवेदकारण की ओर से ही
 लंपड़ीप डब्ल अभिभावक से उपालैक्ट
 होकर निवेदन किया है। उनके पास
 मैं व्यक्ति ग्राहकम् हूँ आरो होशमा
 हूँ। अतः इसलिए मुझे ध्ययना चाहिए है।
 अस्तु इसलिए किया जाना है। अतः
 नठो ध्ययन के लाभ समाप्त किया जाता है।

सिनिल - प्रायालय - ८
 समर्थन - के ०१२८
 के बहुलिपि
 नटो - प्रायल १०८
 १०८

 27/6

राष्ट्रमुद्धा—75—कार्य—17-6-2015—5,000.

अध्ययन